

15⁰⁶/₂₂ अधिवक्ता बादी ने उपस्थित होकर बाढ़ बादी विद्वां विद्वां
जाने बाबद प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज्ञा पेश
हुई। अधिवक्ता प्राची ने प्रा-पत्र प्रस्तुत कर कथक
किया कि ~~ह~~ प्राचीण इवत अराधनियत की विद्वां
पक्षगती करवाना चाहते हैं लेकिन न्यायालय का (M)
स्वयंन आदेश होने के कारण आदेश की पालना नहीं
हो पा रही है। इसलिए पत्रावली तलब कर आज्ञा ही
बाढ़ विद्वां किया जावे।

पत्रावली व प्रा-पत्र का अनलोकेन किया जाकर
वकील प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र स्वीकार किया जाता
है। बाढ़ बादी विद्वां किया जाता है। पत्रावली निर्णित
सुमार होकर दफ्तर दायित्व हो एवं नियमानुसार नम्बर
से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपल (टॉक)